

Government of Himachal Pradesh

₹20

e-Stamp

Certificate No.	: IN-HP20488624433878W
Certificate Issued Date	: 26-Jul-2024 11:54 AM
Reference	: SELFPRINT (PU)/ hp-self/ SUNDER NAGAR/ HP-MN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-HPHP-SELF36317311164787W
Purchased by	: KARAN KING
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: STAMP DUTY TO BE SUBMITTED REGARDING ROAD AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: RAM SARAN
Second Party	: NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By	: RAM SARAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 20 (Twenty only)



SELF PRINTED CERTIFICATE TO BE
VERIFIED BY THE RECIPIENT AT
WWW.SHCILESTAMP.COM

IN-HP20488624433878W

Please write or type below this line



ATTESTED

Notary Public
Sunder N.

✓ शाप मोहन

प्रस्तावित सड़क पर निर्माण कार्य क्षेत्र के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया है। क्योंकि सड़क संरेखण में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि कुछ भूमि निजी है और कुछ गैर मुमकिन गोहर है इसके हिस्से पर आम रास्ता जो कि 1980 से पहले का बना हुआ था। पारंपरिक पुराना रास्ता व खच्चर पथ हुआ करता था, जिसे लोग लंबे समय से आवागमन के लिए उपयोग कर रहे थे। तदनुसार, बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाती थी, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। इन परिस्थितियों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने अपने आवागमन को सुगम बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा और सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन अब धारली से बलग सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क को नियमित करने के लिए, वन डायवर्जन मामले को संसाधित किया गया ताकि खसरा नम्बर की भूमि का उचित सीमांकन करने के बाद राजस्व मुहाल धारली व बलग की जांच में पाया गया कि यह सरकारी भूमि/वन भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका दर्जा चरागाह दरख्तान, गैर मुमकिन गोहर, चरागाह बिला दरख्तान है। वन भूमि में कुल उल्लंघन 0.6840 हेक्टेयर पाया गया और शेष प्रस्तावित सड़क में वन भूमि में कोई उल्लंघन नहीं है। चूंकि एफसीए, 1980 का उल्लंघन क्षेत्र के अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया था, इसलिए अनुरोध है कि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।

1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।

ब्यानकर्त्ता

मैं उपरोक्त हल्कीया ब्यान करता हुं कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है, इस सम्बन्ध में मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है।

दिनांक 26.07.2024

ब्यानकर्त्ता

986667703208

Sh Peef 8, a keshu
Ry Bunda Rlo Senkefho
Teh Spp Datt maredo Hx



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Himachal Pradesh

₹20

e-Stamp

₹20 ₹20 ₹20 ₹20

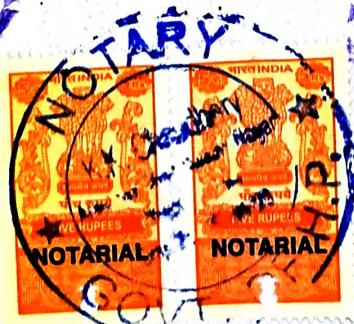
Certificate No. : IN-HP20489402025352W
Certificate Issued Date : 26-Jul-2024 11:56 AM
Reference : SELFPRINT (PU)/ hp-self/ SUNDER NAGAR/ HP-MN
Unique Doc. Reference : SUBIN-HPHP-SELF36318531508055W
Purchased by : KARAN KING
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : STAMP DUTY TO BE SUBMITTED REGARDING ROAD AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : KHUB RAM
Second Party : NOT APPLICABLE
Stamp Duty Paid By : KHUB RAM
Stamp Duty Amount(Rs.) : 20
(Twenty only)



SELF PRINTED CERTIFICATE TO BE
VERIFIED BY THE RECIPIENT AT
WWW.SHCIESTAMP.COM

IN-HP20489402025352W

Please write or type below this line



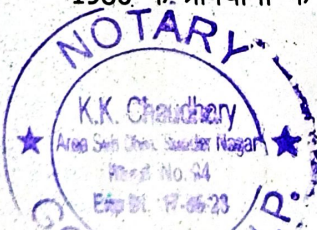
ATTESTED
K.K. Chaudhary
Notary Public
Sunder Nagar (H.P.)

Khush Ram

ब्यान हल्फी

मैं खूब राम उम्र 65 साल पुत्र श्री दुर्गा राम निवासी गांव समैला डाकघर सेरीकोटी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 का स्थाई निवासी हूं। मैं यह निम्न हल्फन ब्यान करता हूं:-

प्रस्तावित सड़क पर निर्माण कार्य क्षेत्र के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया है। क्योंकि सड़क सरेखण में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि कुछ भूमि निजी है और कुछ गैर मुमकिन गोहर है इसके हिस्से पर आम रास्ता जो कि 1980 से पहले का बना हुआ था। पारंपरिक पुराना रास्ता व खच्चर पथ हुआ करता था, जिसे लोग लंबे समय से आवागमन के लिए उपयोग कर रहे थे। तदनुसार, बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाती थी, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। इन परिस्थितियों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने अपने आवागमन को सुगम बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा और सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन अब धारली से बलग सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क को नियमित करने के लिए, वन डायवर्जन मामले को संसाधित किया गया तभी खसरा नम्बर की भूमि का उचित सीमांकन करने के बाद राजस्व मुहाल धारली व वलग की जांच में पाया गया कि यह सरकारी भूमि/वन भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका दर्जा चरागाह दरख्तान, गैर मुमकिन गोहर, चरागाह बिला दरख्तान है। वन भूमि में कुल उल्लंघन 0.6840 हेक्टेयर पाया गया जो कि प्रस्तावित सड़क में वन भूमि में कोई उल्लंघन नहीं है। चूंकि एफसीए, 1980 का उल्लंघन क्षेत्र के अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया था, इसलिए अनुरोध है कि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।



Khub Ram

ब्यानकर्ता

मैं उपरोक्त हल्फीया ब्यान करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है, इस सम्बन्ध में मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है।

294687243006

Khub Ram

ब्यानकर्ता

दिनांक 26.07.2024

certified that the above is the affirmation on the 26th July 2024 who was attested by Sh. Khub Ram whope ally known to me & explained to me, and I am correct

Khub Ram

Notary Public

Notary Public

Sh. Deep Singh Kesari

Ho. Bawla P/P
Seri Kotli Teh. Smt
Dist. Mandi



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Himachal Pradesh

₹20

e-Stamp

₹20 ₹20 ₹20 ₹20

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount (Rs.)

IN-HP20487745651964W

26-Jul-2024 11:51 AM

SELFPRINT (PU)/ hp-self/ SUNDER NAGAR/ HP-MN

SUBIN-HPHP-SELF36315376249129W

KARAN KING

Article 4 Affidavit

STAMP DUTY TO BE SUBMITTED REGARDING ROAD AFFIDAVIT

0

(Zero)

TULSI RAM

NOT APPLICABLE

TULSI RAM

20

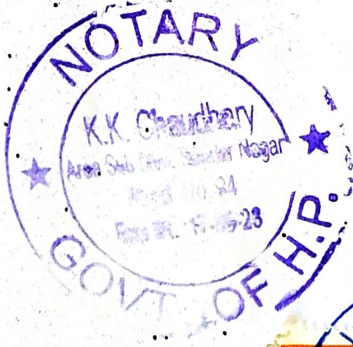
(Twenty only)



SELF PRINTED CERTIFICATE TO BE
VERIFIED BY THE RECIPIENT AT
WWW.SHCHILESTAMP.COM

IN-HP20487745651964W

Please write or type below this line



ATTESTED
K.K. Chaudhary
Notary Public
Sunder Nagar (H.P.)

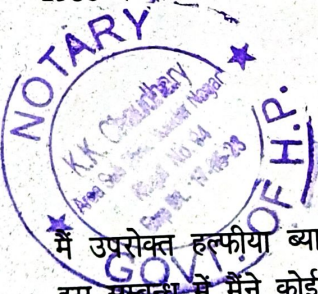


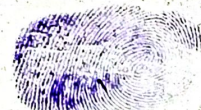
Statutory Alert

ब्यान हल्फी

मैं तुलसी राम उम्र 80 साल पुत्र श्री आदम निवासी गांव समैला डाकघर सेरीकोटी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0 का स्थाई निवासी हूं। मैं यह निम्न हल्फन ब्यान करता हूं:-

प्रस्तावित सड़क पर निर्माण कार्य क्षेत्र के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया है। क्योंकि सड़क संरेखण में भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं थी क्योंकि कुछ भूमि निजी है और कुछ गैर मुमकिन गोहर है इसके हिस्से पर आम रास्ता जो कि 1980 से पहले का बना हुआ था। पारंपरिक पुराना रास्ता व खच्चर पथ हुआ करता था, जिसे लोग लंबे समय से आवागमन के लिए उपयोग कर रहे थे। तदनुसार, बरसात के मौसम में रास्ते की स्थिति खराब हो जाती थी, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। इन परिस्थितियों के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने अपने आवागमन को सुगम बनाने के लिए रास्ते को चौड़ा और सुधारना शुरू कर दिया। लेकिन अब धारली से बलग सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रस्तावित सड़क को नियमित करने के लिए, वन डायवर्जन मामले को संसाधित किया गया ताकि खसरा की भूमि का उचित सीमांकन करने के बाद राजस्व मुहाल धारली व बलग की जांच में पाया गया कि यह सरकारी भूमि/वन भूमि की श्रेणी में आती है, जिसका दर्जा चरागाह दरख्तान, गैर मुमकिन गोहर, चरागाह बिला दरख्तान है। वन भूमि में कुल उल्लंघन 0.6840 हेक्टेयर पाया गया और शेष प्रस्तावित सड़क में वन भूमि में कोई उल्लंघन नहीं है। चूंकि एफसीए, 1980 का उल्लंघन क्षेत्र के अज्ञात लोगों द्वारा अनजाने में किया गया था, इसलिए अनुरोध है कि (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए मामले की कार्यवाई की जाए।




ब्यानकर्ता

मैं उपरोक्त हल्फीया ब्यान करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है, इस सम्बन्ध में मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दी है।

दिनांक 26.07.2024

IDENTIFIED

Dr. Deep Singh Kedar
Dr. Badli Singh Senikotla
Dr. S.M.R. Datta Narada
HAB

certified that the above was
the affirmation on the
26 July 2024
who was verified by
who pe...
certified at the...
had & explained to...
Dr. Tulsi Ram
Dr. A. Adani



ब्यानकर्ता - 33921052949